	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 30, *मंगलवार, शाके 1942–जुलाई* 21, 2020 *Asadha 30, Tuesday, Saka 1942–July 21, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 09, 2020

संख्या एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 :-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधानों से (दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान को सप्ताह में एक दिन बन्द रखने के प्रावधान से), इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती हैः-

1. नियोजक द्वारा सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन, बारी-बारी से, सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा।
2. नियोजित कर्मचारियो के कार्य के घण्टे प्रतिदिन 9 घण्टे तथा साप्ताहिक 48 घण्टे होंगे। यदि कर्मचारियों से निर्धारित कार्य समयावधि से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसका रिकार्ड पृथक से संधारित किया जावेगा।
3. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी से अधिसमय कार्य करवाये जाने पर मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
4. सभी नियोजित कर्मचारियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जावेगा तथा उसकी प्रति क्षेत्र के निरीक्षक को प्रेषित की जावेगी एवं इसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड में रखी जावेगी।

5. यह छूट केवल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के लिए है, कर्मचारी अधिनियम की समस्त धाराओं के तहत देय लाभों को प्राप्त करते रहेंगे।

6. यह छूट उपरोक्त शर्तो की नियोजक द्वारा अनुपालना किये जाने तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।

7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

पतंजलि भू,

अति0 श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।